ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-1* February-2017
Innovation The Research Concept

महिलाओं के प्रति हिंसा : एक सामाजिक अपराध

अंजू शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
अकबरपुर पी0जी0 कालेज,
अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा कोई नई घटना नहीं है। महिलायें प्राचीन काल से लेकर आज तक घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। भारतीय समाज में महिलायें किसी वर्ग, धर्म व जाति की हों, वह लम्बे समय से अवमानना, यातनायें तथा शोषण का शिकार हो रही हैं। कभी महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा गया तो कभी सती के नाम पर जलाया गया और कभी देवदासी प्रथा के नाम पर किशोरियों से बलात्कार किया गया। यह सब धर्म का नाम लेकर सदियों से महिलाओं पर उत्पीड़न होता रहा है।

भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न की समस्या एक गम्भीर समस्या है, वर्तमान महिलाओं को भिन्न–भिन्न तरीकों से उत्पीड़ित किया जाता है। उनमें से एक पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता को अपनाने के कारण भी होता है। आज महिला किसी भी वर्ग,समाज, धर्म, जाति की हो वह पाश्चात्य संस्कृति से कहीं न कहीं प्रभावित है। वह इन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न करना चाहती है। इसी को वह आधुनिक व कामयाब जिन्दगी समझती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जिन्दगी जीना चाहती है और एक ऐसी जिन्दगी जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। किन्तु भारतीय परिवेश में यह स्वतंत्रता और पश्चिमीकरण का प्रभाव परिवार में विघटन, कलह व हिंसा का कारण बनता है।

मुख्य शब्द : अवमानना, शोषण, पश्चिमीकरण, शोषण, पाश्चात्य संस्कृति।

प्रस्तावना

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में देखा जाये तो महिलाओं को स्वतन्त्रता की आड़ में उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी पत्नी को तन्दूर में जला दिया जाता है तो कभी जिन्दा मार दिया जाता है तो कभी बस में किशोरी के साथ गैंगरेप किया जाता है और महिलाओं के सामने आत्महत्या की स्थिति पैदा कर दी जाती है। ये ऐसी घटनायें है जो दिल को उद्धेलित करती हैं। ये सब घटनायें हमारे समाज में रूढ़ियों, संस्कारों, परम्पराओं तथा मर्यादाओं के नाम पर हो रही हैं।

आमतौर पर पारिवारिक हिंसा पति–पत्नी के बीच का मामला समझा जाता है और इसमें आम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। समाज में यह एक विरूपता है जो हर समाज और राष्ट्र को हानि पहुँचाती है। महिला की यह मजबूरी है कि परिवार में उसके साथ–अत्याचार व शोषण होता रहता है और साथ ही हिंसा का व्यवहार होने के बावजूद भी वह आर्थिक, सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति दायित्वों, सम्मान तथा सामाजिक निन्दा से बचने आदि कारणों के चलते वह सब कुछ सहती रहती है। समाज के लोग उसे सहिष्णुता होने का उपदेश देते रहते हैं। उससे बचपन से ही कहा जाता है कि वह पराया धन है और उससे कहा जाता है कि पति के घर में डोली में बैठकर आयी थी अब यहाँ से उसकी अर्थी ही उठेगी। कभी–कभी तो उसके अपने पिता के घर पर ही उसके साथ भेदभाव किया जाता है और वह बेचारी जहर का घूंट पीकर एक जिन्दा लाश बन जाती है।

आज के युग में महिलाओं पर अत्याचार एक शर्मनाक तथा ज्वलन्त मुद्दा है। महिलाओं के प्रति हिंसा महज उसके शरीर पर ही चोट नहीं है बल्कि उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है। हमारे समाज में कई रूप इसके देखने को मिलते हैं जैसे कि बाल विवाह, ससुराल में उसके साथ मारपीट व पति के द्वारा हिंसा, दैनिक जीवन में छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति, ऑनरकिलिंग, शारीरिक, मानसिक व यौनिक हिंसा आदि। लेकिन अक्सर हिंसा की यह घटनायें मूक स्तरों पर ही सामने आती हैं। भारतीय समाज में पुरूष प्रधानता का होना और नारियों को समाज में नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जैसे कुप्रथाओं या फिर जिस तरीके से हमारे प्रचार माध्यमों ने महिलाओं को जिस तरह से प्रदर्शित किया है जैसेकि महिला एक नुमाइश की वस्तु या भोग–विलास की वस्तु हो।

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी घटना एक जैसी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली प्रघटनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न उत्प्रेरक कारकों की खोजबीन की जाती है। यही कारक किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के पीछे विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर उत्पीड़न के स्वरूपों को निर्धारित किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1 महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करना।
2 महिलाओं की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।
3 चयनित क्षेत्र में महिलाओं में पारिवारिक हिंसा के कारकों एवं अभिकर्ताओं का पता लगाना।
4 चयनित महिलाओं पर घर एंव ससुराल में होने वाली हिंसा के प्रकारों को समझना एवं उनकी जाँच करना।
5 महिलाओं में पारिवारिक हिंसा के उत्पीड़न से होने वाले सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
6 पारिवारिक हिंसा से उत्पन्न महिला उत्पीड़न के उभरते हुए पहलुओं को खोजना एवं उनका निर्वचन करना।
7 महिला उत्पीड़न के संदर्भ सरकारी एवं स्वयं सेवी महिला संगठनों की भूमिका के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना।
8 महिलाओं में उत्पीड़न तथा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषण करना।
9 पारिवारिक हिंसा के कारण दाम्पत्य जीवन में उत्पनन होने वाले तनावों का बोध करना।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी की स्थिति दयनीय है। वह हर समाज जाति तथा वर्ग में शोषण व दमन का दंश झेल रही है। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण वह कठपुतली बनकर रह गयी हैं पुरूषों द्वारा बनाये गये नियमों व सिद्धान्तों को मानने के लिए वह बाध्य है। लेकिन वह इन दकियानूसी सिद्धान्तों तथा नियमों की बेड़ियों को तोड़ने के लिये छटपटा रही है। क्योंकि इन्हीं के कारण पुरूष उसका शोषण करता है। उसके ऊपर अत्याचार किये जाते है उसे जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है। कभी उसे दहेज के दानव निगल जाते हैं, तो कभी हवस के भूखे भेड़िये उसकी अस्मत को तार–तार कर देते हैं, तो कभी इज्जत के रखवाले उसको सूली पर चढ़ा देते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि दुःखों को सहन करना व कुर्बान होना उसकी नियति बन गई है। जब उसने गर्भधारण किया तो नौ माह तक दुःखों के पहाड़ को सहा, और जब बच्चे को जन्म दिया तो असहज पीड़ा सही और जब वह बच्ची यौवनावस्था तक पहुँची तो अनगिनत भूखी निगाहों की पीड़ा को सहा और जब अनेकों स्वप्नों व खुशियों को लेकर अपनी ससुराल पहुँची तो दहेज के दानवों ने उसे आग की भठ्ठी में झोंक दिया। वास्तव में आज नारी पिता के लिये पराया धन, सास–ससुर के लिए समृद्धि का साधन और पति के लिये सेविका व मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गयी है।

भारत वर्ष में स्त्री –पुरूष के बीच खाई कब पटेगी? स्त्री समाज में कब स्वतंत्र होगी? स्त्री पर जुल्म कब बंद होंगे? यह ऐसे ज्वलन्त प्रश्न है जिसका उत्तर हर स्त्री जानना चाहती है। आज हम इक्कीसवी शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। नये–नये आविष्कार हो रहे हैं। आज नवीन तकनीकी का युग है। लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। नारी की सुरक्षा के लिये करोड़ों रूपये व्यय किये जा रहे हैं क्या इतना करने के बाद भी नारी की स्थिति में सुधार हुआ है? जो स्थिति दिखाई जा रही है, क्या वह सत्य है? यदि गहराई से विचार किया जाये तो नारी आज भी वहीं खड़ी नजर आती है जहाँ कल थी। प्राचीन काल में भरी सभा में द्रोपदी का चीरहरण हुआ था तो आज भी किसी महिला की बाजार तथा बस में उसकी अस्मिता तार–तार होती है। अक्सर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो फिर महिलाओं के साथ शोषण व अन्याय क्यों होता है? समाज में उनको वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वह अधिकारी थी।

उपकल्पना

1. पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना के कारण महिलाओं के पुरूषों के अधीन होने की संभावना।
2. परिवारों में शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं पर हिंसा होने की संभावना है।
3. परिवारों में व्याप्त बेरोजगारी एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण महिलाओं पर हिंसा होने की संभावना है।
4. महिलाओं में अशिक्षा एवं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता एवं उनके उत्पीड़न की संभावना अधिक है।
5. महिलाओं के कल्याण हेतु महिला संगठनों का पूर्णतया अभाव है। अतः महिलाओं का उत्पीड़न होने की संभावना है।
6. महिलाओं में अशिक्षा के कारण पतियों पर आर्थिक रूप से पूर्णरूपेण निर्भरता हिंसा का कारण हो सकती है।
7. महिलाओं में महिला सशक्तीकरण योजनाओं का अभाव एवं कतिपय पढ़ी लिखी उच्च परिवार की महिलाओं की उदासीनता से हिंसा की संभावना है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा कई प्रकार से होती है। इसे हम निम्नांकित रूपसे वर्गीकृत कर सकते है :–

क्र.स.	महिला हिंसा	महिला हिंसा के स्वरूप
1.	पारिवारिक हिंसा	महिला के साथ शारीरिक मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तथा यौनिक हिंसा, आदि।
2.	दहेज हत्यायें	वधू, दहन/हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना।

3.	लैगिग हिंसा	वेश्यावृत्ति, लैगिंग अत्याचार, देह व्यापार।
4.	हिंसात्मक अपराध	अपहरण, हत्या, लूटपाट
5.	सामाजिक हिंसा	भ्रूण हत्या, महिला के साथ छेड़छाड़ और छींटाकशी आदि।

शारीरिक हिंसा

भारत में हिलाओं को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने की चेष्टा की जाती है। शारीरिक हिंसा के अन्तर्गत थप्पड़ मारना, पीटना, अत्यधिक काम करवाना, खाना न देना, बीमारी में इलाज न कराना, हत्या व हत्या का प्रयास करना, मुँह व शरीर पर तेजाब डालना तथा सिगरेट व आग से जलाना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

मानसिक/मनोवैज्ञानिक हिंसा

मानसिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा में महिलाओं को मानसिक व भावनात्मक चोट पहुँचाना होता है। इसमें महिलाओं को धमकाना, दहेज लाने हेतु बाध्य करना, बाँझपन के लिये ताना देना, बेटा पैदा करने के लिये विवश करना, भ्रूण हत्या करना, दूसरे विवाह की धमकी देना, जरा–जरा सी बात पर घर से निकाल देना, खान–पान में भेदभाव करना, तलाक देने की धमकी देना, उनके द्वारा लिये गये निर्णय की अवहेलना करना, जबरदस्ती अपनी बात मनवाने को विवश करना, धार्मिक रीति–रिवाजें, परम्पराओं को मानने का दबाव बनाना आदि कारणों से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है और वह कभी–कभी मानसिक रोगी हो जाती है।

आर्थिक/सामाजिक हिंसा

महिलाओं का उत्पीड़न वैसे तो शारीरिक–मानसिक तथा आध्यात्मिक आदि रूपों में होता है किन्तु आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से इन महिलाओं का उत्पीड़न अधिक होता है। महिलायें घर के बाहर कार्य नहीं कर सकती हैं। वे अधिकांशतः घर पर रहकर ही कार्य करती हैं जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि वह घर के बाहर कार्य करती हैं तो पुरूष प्रधान समाज होने के कारण उस पर अनेक पाबन्दियाँ होती हैं उसे अपनी कमाई पर स्वतंत्रता पूर्वक खर्च करने का अधिकार नहीं होता है। सामाजिक हिंसा से तात्पर्य उस हिंसा से है जिसमें महिला के साथ घर के बाहर उत्पीड़न होता है। सामान्यतः घर में महिला का उत्पीड़न कम होता है जबकि घर के बाहर उत्पीड़न अधिक होता है। घर के बाहर अकेली महिला को असहाय, दुर्बल व कमजोर मानकर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। वह घर के बाहर कार्यस्थल, बस, टेम्पो, सड़कों पर चलते वक्त घूरना, छींटाकशी करना, स्कूल व संस्थान, बाजार में, यात्रा व सफर में छेड़छाड़ आदि सार्वनिक स्थलों में महिला का शोषण होता है।

आध्यात्मिक हिंसा

आध्यात्मिक हिंसा के अन्तर्गत महिला के धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास का छल साधन के रूप प्रयोग करना, उसके धार्मिक या भावनात्मक विश्वास का प्रयोग करने से रोकना तथा उसके धार्मिक या भावनात्मक विश्वास का मजाक उड़ाना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

महिलाओं के साथ हिंसा अनेक कारणों से हो सकती है। इनकी व्याख्या किसी एक कारण को आधार मानकर नहीं की जा सकती है। इसके अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अशिक्षा एवं कानूनी अनभिज्ञता, धार्मिक कट्टरवाद तथा बेमेल विवाह आदि हो सकते हैं।

कई माता–पिता अपनी जवान कन्याओं का विवाह वृद्ध व आयु में बढ़े पुरूषों से कर देते हैं क्योंकि योग्य वर ढूढ़कर उसे दहेज देकर अपनी कन्या का विवाह करने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। अतः वे उसे जन्मभर कुंवारी रखकर पाप के भागी होने से बचने के लिये वृद्ध पुरूष से ही विवाह कर देते हैं।

बहुमूल्य वस्तुओं और धन की वर पक्ष द्वारा मांग दहेज के रूप में समाज पर एक कलंक है। अच्छी योग्य पढ़ी लिखी लड़कियाँ इसी कारण अच्छे लड़कों को नहीं पा सकती है। यदि वधू पक्ष वरपक्ष की मांग पूरी नहीं करता तो वधू का सुसराल में उत्पीड़न होता है। यहाँ तक कि कुछ वधुओं को जलाकर मार तक देते हैं। दहेज की इस बुराई एवं मुसीबत से बचने के लिए बहुत से माँ–बाप अपनी बच्चियों का बचपन में ही विवाह कर देते हैं या छोटी बच्चियों का अधेड़ पुरूष से विवाह कर देते हैं। अधिक संतान उत्पत्ति, कमजोर देह, अल्प आमदनी, पारिवारिक उत्पीड़न एवं उचित पोषण के अभाव में नवदम्पत्ति जल्दी टूट जाते है। सरकार ने बाल विवाह, दहेज प्रथा को गैर–कानूनी माना है।

निष्कर्ष

भारत वर्ष एक रूढ़िवादी विचारधारा वाला देश है जिसमें अनेकों मान्यताओं को अनिवार्य रूप से मानना होता है जैसे किसी परिवार में बेटा होना सम्मान की बात है। क्योंकि बेटों से वंश चलता है। इसलिए पिता को पुत्र की चाहत होती है, पुत्री की नहीं। इसलिए आज भारत में महिलाओं की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। यदि स्त्री, बाँझ है अर्थात् वह कोई संतान देने में असमर्थ है या किसी लम्बी बीमारी के कारण वह कमजोर हो गयी है तो उसके साथ शोषण व उत्पीड़न होता है। उसका जीवन नर्क बना दिया जाता है उसे ताने मारे जाते हैं, उसे तलाक की या दूसरी शादी की धमकी दी जाती है आदि अनेकों प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। यह पारिवारिक हिंसा का कारण बनती है।

हमारे देश में दहेज एक गम्भीर समस्या है। यह समाज के लिए एक नासूर बन गया है। यह हमारे समाज के लिए अत्यधिक विघटनकारी सिद्ध हो रही है। दहेज प्रथा ने बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन व हिंसा को जन्म दिया है जिसके कारण लड़कियाँ तथा उनके माता–पिता का जीवन कष्टों, चिन्ताओं एवं कुंठाओं से भर गया है। वर्तमान में दहेज के दानव ने न जाने कितनी लड़कियों के सपनों के महल को ध्वस्त किया है, कितनों की जीवन लीला समाप्त की है। कितने माता व पिता को ऋण के

बोझ के नीचे दबा सिसकता पाया गया है और कितनी ही कन्याओं और उनके माता–पिता का सम्मान सहित जीना कठिन हो गया है। लाखों परिवारों को जीवन की शांति को मिटाने का कार्य इस प्रथा ने किया है। वास्तव में यह प्रथा मानवता के मस्तक पर कलंक है। दहेज प्रथा का प्रचलन सभी धर्मों, वर्गों तथा जातियों में है इसने सभी समाजों को प्रभावित किया। यह प्रथा गरीब व दुर्बल वर्ग में ही नहीं वरन् सभ्य व शिक्षित वर्गों में भी प्रचलित है। यदि कोई लड़की विवाह के समय कम दहेज लाती है तो उसको ससुराल में ताना सुनना पड़ता है उसके साथ शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हिंसा की जाती है। उसके जीवन को नर्क बना दिया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अली, सुभाषनी (2010) ''दशा सुधार की हकदार महिलायें'' दैनिक हिन्दुस्तान, (5 सितम्बर)।*
2. *अल्तेकर, ए0एस0 (1938) ''दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दु सिवलाइजेशन, बनारस।*
3. *अमेस्टी इन्टरनेशनल (2001) '' दि इम्पैक्ट ऑफ वॉयलेन्स अगेंस्ट वीमेन, अमेस्टी, लन्दन।*
4. *अंजली (2005) ''भारत में महिला अपराध'' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
5. *आनन्द, बबीता (2003), ''वर्किंग वीमेन इश्यूज एण्ड प्रॉब्लम, योजना, दिल्ली।*
6. *अशरफ नेहाल (1997) '' क्राइम अगेंस्ट वीमेन'' कामनवेल्थ पब्लिशर, नई दिल्ली।*
7. *अत्रेय, जे0पी0 (1988) ''क्राइम अगेंस्ट वीमेन'' विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।*
8. *अय्यर, शंकर (2015) ''बेजान व्यवस्था से घिरी बेटियाँ'' अमर उजाला, कानपुर (14 मार्च)।*